न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

अपील संख्या 323/2023

बजरंग लाल पुत्र बनवारी लाल मीणा निवासी ग्राम बागावाला किशोरपुरा तहसील पाटन जिला सीकर राजस्थान

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिए डायरेक्टर मैसर्स भवानी स्टोन क्रेशर प्रा0 लि0 नियर ग्राम जोडिया तहसील तिजारा जिला अलवर
2. राकेश पुत्र बनवारी जाति मीणा ग्राम बागावाला किशोरपुरा तहसील पाटन जिला सीकर
3. भूमिधारी जरिए तहसीलदार पाटन जिला सीकर

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—

1. वकील श्री जगन्नाथ प्रसाद अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सांवरमल चौधरी रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.12..2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के आदेश दिनांक 03.02.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है अपीलांट की ओर से दिनांक 09.03.2022 को उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रकरण दीपेन्द्र सिंह बनाम भूमिधारी मुकदमा नम्बर 73/2022 मे पारित आदेश दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम बागवाला किशोरपुरा की भूमि खसरा नम्बर 262, 264, 265 के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष मुकदमा नं0 1505/2021 राकेश बनाम बनवारी प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 01.03.2021 से विचाराधीन था लेकिन पटवार हल्का डूंगा की नांगल के पटवारी के द्वारा दिनांक 04.01.2022 को अपीलांट को नोटिस दिए बिना उक्त विवादित जमीन का एक तरफा सीमाज्ञान बाला बाला किया गया। भूमि खसरा नं0 262, 264 एवं 265

संभागीय आयुक्त
सीकर

जमीनें दादालाई है तथा अपीलांट के पड़दादा मानाराम पुत्र जवानाराम के नाम से उक्त जमीन थी जिसकी मृत्यु के बाद में उक्त जमीन विरासत के आधार पर अपीलांट के दादा सुरजाराम के नाम आई थी तथा सुरजाराम की मृत्यु के पश्चात बनवारी पुत्र सुरजाराम, कानाराम पुत्र सुरजाराम व गीता देवी पुत्री सुरजाराम के नाम आई जो गलत रूप से आई। अपीलांट के सगे भाई राकेश की ओर से उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थना पत्र स्थगन मुकदमा नम्बर 1508/2021 दिनांक 02.09.2021 से विचाराधीन है एवं अपील नम्बर 17/2021 राकेश बनाम बनवारी अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम दिनांक 01.09.2021 से उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष विचाराधीन है। उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान किए जाने हेतु रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र तत्कालीन तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो तहसीलदार नीमकाथाना की ओर से उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.01.2022 को किया जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 08.01.2022 हेतु आदेश पारित किया गया। पूर्णतया गलत व असत्य आधारों पर तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.01.2022 को बिना पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के एवं सक्षम अधिकारी तहसीलदार नीमकाथाना की बिना आज्ञा में किया गया जो पूर्णतया गैरकानूनी एवं अवैधानिक तथा नियमों के विपरित किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। जिसमें वकील अपीलांट ने अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हूए कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 ने धारा 128 एलआर एक्ट के तहत जो पत्थरगढी के आदेश पारित करवाये वह पूर्णतया अवैधानिक है। क्योंकि उपखण्ड अधिकारी को औधोगिक भूमि का सीमाज्ञान करवाने का अधिकार नही है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट का पड़ौसी है लेकिन सीमाज्ञान से पहले अपीलांट को कोई नोटिस नही मिला। उपखण्ड अधिकारी को स्वयं मौके पर जाकर पत्थरगढी करवानी चाहिए थी। लेकिन उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौके पर नही गये। अतः उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्सोडेन्ट सं0 1 अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी चाही है। विवादित जमीन में अपीलांट ने कोई अपील अन्य किसी न्यायालय में नही कि है अतः अपीलांट का कोई हित निहित नही है। अपील के निस्तारण से पूर्व मियाद का निर्धारण किया जाना है क्योंकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के 12 महिने के बाद अपील प्रस्तुत कि है। लेकिन अपीलांट अपने अपील में देरी का कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

वकील अपीलांट ने अपने बहस के समर्थन में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को निर्णय दिनांक 08.03.217 पेश किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 14.10.2008, आरआरटी 2011(1), आरएलडब्लू 2010(1), आरएलडब्लू 2012(1) पेश किये।

संभागीय आयुक्त
सीकर

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2022 के विरूद्ध अपील पेश कि है। अपीलांट विवादित भूमि का क्रेता है। भूमि खसरा नं0 262, 264, 265 का अपीलांट द्वारा दिनांक 04.01.2022 को तहसीलदार नीमकाथाना से सीमाज्ञान करवाया गया तथा दिनांक 03.02.2022 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने सीमाज्ञान को विधिवत मानते हुए पत्थरगढी आदेश पारित कर दिये।

वकील उभयपक्ष ने यद्यपि अपील के गुणावगुण पर बहस की है। किन्तु सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के उपरान्त ही अपील के गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिए। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने दिनांक 03.02.2022 को पत्थरगढी के आदेश पारित किये। जिसके पश्चात अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को आदेश दिनांक 03.02.2022 पर पुनर्विचार हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने दिनांक 08.06.2023 को प्रार्थना पत्र को तय समयावधि के पश्चात पेश होने पर एडमिशन स्टेज पर खारिज कर दिया गया। जिसके बाद अपीलांट ने दिनांक 11.10.2022 को न्यायालय पत्रावली प्रस्तुत की। यदि समयावधि हेतु पुनर्विचार प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 08.06.2022 से गणना कि जावे तो भी अपीलांट हस्तगत अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा अपील दायर करने के सम्बन्ध में की गयी देरी के सम्बन्ध में सत्य, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक कारण से अपीलीय न्यायालय को सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर में कि गयी देरी को कण्डोन नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होना प्रतीत नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन कि आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना का दिनांक 03.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर